



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 337]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 24, 2011/आषाढ़ 3, 1933

No. 337]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 24, 2011/ASADHA 3, 1933

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2011

सा.का.नि. 477(अ).—केन्द्रीय सरकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 22ग की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपील प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें तथा प्राधिकरण के व्ययों को पूरा करने की रीति) नियम, 2006 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अपील प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें तथा प्राधिकरण के व्ययों को पूरा करने की रीति) नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अपील प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें तथा प्राधिकरण के व्ययों को पूरा करने की रीति) नियम, 2006 में,—

(i) नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“3. भत्ते.—प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों को प्रत्येक दिन की बैठक के लिए निम्नलिखित रकम संदेय होगी, अर्थात् :—

अध्यक्ष — छह हजार रुपए

सदस्य — चार हजार पांच सौ रुपए”।

(ii) नियम 4 के स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 12/15/2007-आईजीसी/पीआई]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 711(अ) तारीख 17 नवम्बर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

2357 GI/2011

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 17th June, 2011

G.S.R. 477(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22C of the Chartered Accountants Act, 1949, the Central Government hereby makes the following amendments in the Appellate Authority (Allowances payable to, and other terms and conditions of service of Chairperson and Members and the manner of meeting expenditure of the Authority) Rules, 2006, namely :—

1. Short Title and Commencement.—(1) These rules may be called the Appellate Authority (Allowances payable to, and other terms and conditions of service of Chairperson and members and the manner of meeting expenditure of the Authority) Amendment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Appellate Authority (Allowances payable to, and other terms and conditions of service of Chairperson and Members and the manner of meeting expenditure of the Authority) Rules, 2006,—

(i) for rule 3, the following rule shall be substituted, namely :—

“3. Allowances.—The Chairperson and the Members of the Authority shall be paid the following amount for each day of sitting, namely :—

Chairperson — Rupees Six Thousand.

Member — Rupees Four Thousand Five Hundred”;

(ii) explanation to rule 4 shall be omitted.

[F.No. 12/15/2007-IGC/PI]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

Note.—The Principal rules were published in the Gazette of India, vide number G.S.R. 711(E), dated the 17th November, 2006.